

—: आदेश :—

कार्यक्रम समन्वयक इन्स्टीट्यूट ऑफ हैल्थ मैनेजमेन्ट रिसर्च, प्रभु दयाल मार्ग, एयरपोर्ट के पास, सांगानेर, जयपुर द्वारा Nominations for 7<sup>th</sup> Professional Development Course (PDC) at IIHMR, Jaipur विषय पर आयोजित कार्यशाला दिनांक 07.02.11 से 17.04.11 (10 सप्ताह) तक में भाग लेने हेतु निम्न चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1	डा० सोहन लाल गोदारा	व०चि०अ०	मुख्यालय बीकानेर।
2	डा० मांगीलाल मीणा	व०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र इन्द्रगढ (बून्दी)
3	डा० द्वारकालाल मीणा	व०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र अकलेरा (झालावाड)
4	डा० लक्ष्मण सिंह ओला	व०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र बिसाऊ (झुन्झुनू)
5	डा० भगवान सिंह सोमरा	व०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र मलसीसर (झुन्झुनू)
6	डा० विनोद कुमार चौमाल	व०चि०अ०	सामान्य चिकित्सालय, हनुमानगढ़।

उक्त आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले चिकित्सा अधिकारियों की आवास एवं डी०ए० रू० 200/- प्रतिदिन तथा टी०ए० का भुगतान उक्त संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/ट्रेनिंग/प-33/2011/104

दिनांक : 4/4/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कार्यक्रम समन्वयक इन्स्टीट्यूट ऑफ हैल्थ मैनेजमेन्ट रिसर्च, प्रभु दयाल मार्ग, एयरपोर्ट के पास सांगानेर, जयपुर को उनके पत्रांक IIHMR/PRS/PDC/2011 दिनांक 10.10.11 एवं 20.12.10 के सन्दर्भ में।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद ..... को भेजकर लेख हैं कि कोर्स में भाग लेने हेतु संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्त चिकित्सकों को समय पर कार्यमुक्त करने हेतु निर्देशित करें।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन .....
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्त चिकित्सकों को समय पर कार्यमुक्त कर उक्त कोर्स के लिए संस्थान में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
7. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।